राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक–प.42(1)मु.म./सहा./2020 जयपुर, दिनांक 02.04.2020

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः–राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड–19 मिटिगेशन फण्ड में प्राप्त दान राशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड–19 मिटिगेशन फण्ड हेतु जिला कलक्टर कार्यालयों में भी दान राशि के चैक/डी.डी. जमा करवाये जा रहे है। इस दान राशि के चैक/डी.डी. तत्काल Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund Account में जमा करवाये जाने हैं।

प्रायः देखने में आया है कि अनेक जिला कलक्टर कार्यालयों में दानदाताओं द्वारा जमा करवाये गये चैक/डी.डी. खाते में जमा नहीं करवाये गये हैं तथा न ही मुख्यमंत्री सहायता कोष को सूचित किया गया है।

जिला कलक्टर स्तर पर दानदाताओं द्वारा जमा करवाये गये चैक/डी.डी. तत्काल Raj. CMRF COVID-19 Mitigation Fund के बचत खाता संख्या 39233225397 में जमा करवा कर निम्न प्रपत्र में सूचना मुख्यमंत्री सहायता कोष को प्रतिदिन 5 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें :–

क्र.सं.	दानदाता का नाम व पता	मोबाईल नम्बर	चैक/डी.डी. संख्या/दिनांक	राशि	COVID-19 खाता में जमा करवाने की दिनांक

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दानदाताओं से प्राप्त चैक/डी.डी. जिला कलक्टर कार्यालय के स्तर पर लम्बित नहीं रखे जावें। साथ ही कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा में राशि के उपयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 29.03.2020 की पालना सुनिश्चित की जावे। दान राशि जमा कराने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री सहायता कोष की वेबसाईट http://cmrelief.rajasthan.gov.in पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय

प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री